न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 46/2019

1. लवजीत शर्मा उर्फ अनुराधा शर्मा पत्नि बलजीत शर्मा पुत्री जगदीश लाल जाति ब्राहाण निवासी गली न. 02 मिशन ग्राउण्ड कोटकपुरा रोड तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
2. वारिस शर्मा पुत्र बलजीत शर्मा पुत्री जगदीश लाल जाति ब्राहाण निवासी गली न. 02 मिशन ग्राउण्ड कोटकपुरा रोड तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
3. आमीन शर्मा पुत्र बलजीत शर्मा पुत्री जगदीश लाल जाति ब्राहाण निवासी गली न. 02 मिशन ग्राउण्ड कोटकपुरा रोड तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

--वादीगण--

बनाम

1. बलजीत शर्मा पुत्र विजय कुमार जाति ब्राहाण निवासी गली न. 02 मिशन ग्राउण्ड कोटकपुरा रोड तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
2. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 88 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 11/02/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 5/2 के मु.न. 1 की 2.592 हैक्टर भूमि व मु.न. 2 में 2.593 हैक्टर कुल 5.185 हैक्टर नहरी रकबा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.864 हैक्टर नहरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, व इसी चक के खाता संख्या 25 के मु.न. 4, 9, 53, 53/2, 53/5, 53/8, 53/11 की कुल 11.961 हैक्टर नहरी भूमि मय बाग मय खाला में 0.494 हैक्टर नहरी रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, व इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मु.न. 29, 48, 49, 51 की कुल 2.314 हैक्टर नहरी बारानी रकबा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.167 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 बलजीत शर्मा के नाम कुल 1.525 हैक्टर नहरी रकबा मय गैरमुमकिन खाला भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता विजय कुमार उर्फ यश कुमार से विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि हिन्दू मुर्शतका खाता की कृषि भूमि है। और जद्दी जायदाद है इसलिए वादीगण 2 व 3 जन्म से ही उपरोक्त विरास्तन आराजी में हक व हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रो द्वारा अपना हिस्सा मागने / प्राप्त करने के कारण वादीगण संख्या 1 भी प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा Madiaton and conciliation centre of Punjab and hariyana high court, chandigarh में दिनांक 24.09.2018 को settlement/ agreement में वादी संख्या 1 के साथ इस आश्य का लिखवाया था कि चक 12 ओ की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर -बराबर हिस्सा होगा। वादीगण आज से कुछ रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से मिले और वादीगण को उपरोक्त भूमि में से उनके हिस्सा मुताविक भूमि वादीगण के नाम लगवा देने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया और

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

कहने लगा कि वह अतिशीघ्र उक्त आराजी अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना व वादीगण का हक व हिस्सा को रहन, बैय, वसीयत कर देगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय, वसीयत करने में कामयाब हो गया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नूकसान होगा। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से रोक पाने के अधिकारी है एवं दावा ला पाने के अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः-

कि प्रतिवादी संख्या 1 बलजीत शर्मा के नाम दर्ज चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 5/2 के मु.न. 1 व 2 में 0.864 हैक्टर नहरी व इसी चक के खाता संख्या 25 के मु.न. 4, 9, 53, 53/2, 53/5, 53/8, 53/11 में 0.494 हैक्टर नहरी मय बाग मय खाला तथा इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मु.न. 29, 48, 49, 51 में 0.167 हैक्टर नहरी बारानी रकबा इस प्रकार तीनो खातो में कुल 1.525 हैक्टर रकवा में वादीगण को 1/4-1/4 हिस्सा का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार घोषित किया जावे। व उक्त 1.525 हैक्टर रकवा को प्रतिवादी संख्या 1 रहन, बैय, वसीयत करने या किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित करने या उपरोक्त आराजी का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को देने से बाज व ममनू रहे। मौका व रिकॉर्ड यथास्थिति रखी जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा ने यू.टी. दी। 3 तारीख पेशी तक वकालतनामा पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। वादी संख्या 1 स्वंय व वादी संख्या 2 व 3 जरिए अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया व जो दोनो पक्षो को पढकर सुनाया गया दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। एंव दोनो पक्षो के द्वारा निवेदन किया कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता है तो दोनो पक्षो को कोई एतराज नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। राजीनामा पेश होने के कारण वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

बहस सुनी गई दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री जाने पर सहमत है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनो पक्ष वादपत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री करवाने में सहमत है। इसलिए वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बलजीत शर्मा के नाम दर्ज चक 12

अधिकारी (राजस्व)
...पुर (श्रीगंगानगर)

<u>लवजीत शर्मा बनाम बलजीत शर्मा आदि</u>

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीए प्रकरण संख्या 46/2019</u>

ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 5/2 के मु.न. 1 व 2 में 0.864 हैक्टर नहरी, इसी चक के खाता संख्या 25 के मु.न. 4, 9, 53, 53/2, 53/5, 53/8, 53/11 में 0.494 हैक्टर नहरी मय बाग मय खाला, इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मु.न. 29, 48, 49, 51 में 0.167 हैक्टर नहरी बारानी रकबा तीनो खातो में कुल 1.525 हैक्टर रकबा में वादीगण को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.763 हैक्टर रकबा का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इन खातो के शेष अंकन एंव रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

लवजीत शर्मा बनाम बलजीत शर्मा आदि
धारा अन्तर्गत 88,188 आरटीए मुकदमा नं0 46/2019
निर्णय दिनांक :- 11.02.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बलजीत शर्मा के नाम दर्ज चक 12 ओ की जमावन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 5/2 के मु.न. 1 व 2 में 0.864 हैक्टर नहरी, इसी चक के खाता संख्या 25 के मु.न. 4, 9, 53, 53/2, 53/5, 53/8, 53/11 में 0.494 हैक्टर नहरी मय बाग मय खाला, इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मु.न. 29, 48, 49, 51 में 0.167 हैक्टर नहरी बारानी रकवा तीनो खातो में कुल 1.525 हैक्टर रकवा में वादीगण को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.763 हैक्टर रकबा का वहिस्सा बरावर खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इन खातो के शेष अंकन एंव रहन बदस्तुर रहेगे। इन दोनो खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 11.02.2020 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	02	00

मुहर

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 11/02/2020

क्रमांक: राजस्व/ 2020/ 35
प्रतिलिपि:
1. तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.24 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: